पंजाब सरकार

बनाम

मोहिंदर सिंह और अन्य

सितम्बर 28, 2007

[डॉ. अरिजीत पसायत और डी. के. जैन, जे.जे.]

आपराधिक विचारणः-

प्राथमिकी दर्ज कराने में विलम्ब-अभियोजन मामले पर प्रभाव- मृतक की शिकायतकर्ता पत्नी ने बताया कि देरी इसलिए हुई, क्योंकि अंधेरी रात में पुलिस स्टेशन जाने के लिए उसके साथ कोई आगे नहीं आया था और इसलिए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए अगली सुबह तक इंतजार करना पड़ा। अभिनिर्धारित किया गया- विलम्ब अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं है- धारा 302 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860.

अभियुक्त को लगी चोटों का स्पष्टीकरण न देना- अभियोजन के मामले पर प्रभाव- अभिनिर्धारित- घातक नहीं है, क्योंकि अभियुक्तों का यह मामला नहीं था कि उन पर मृतक द्वारा हमला किया गया था, बल्कि उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अज्ञात हमलावरों के हाथों उन्हें चोटें आई।

अभियोजन के अनुसार, प्रतिवादी/प्रत्यर्थी ने पी.डब्ल्यू-4 (शिकायतकर्ता) के पति पर विभिन्न घातक हथियारों से हमला किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। दोनों पक्ष कथित तौर पर भूमि विवाद में शामिल थे। विचारण न्यायालय के समक्ष, प्रतिवादियों ने दलील/तर्क देते हुए खुद को निर्दोष होने का अनुरोध किया (ए) कि उन्हें लगी चोटों पर की व्याख्या नहीं की गई (ब) कि एफआईआर दर्ज कराने में देरी हुई थी (सी) कि पी.डब्ल्यू-4 का साक्ष्य, चिकित्सीय साक्ष्य के विपरीत था और (डी) कि जांच अधिकारी/अनुसंधान अधिकारी द्वारा खून का कोई निशान नहीं देखा गया था, यद्यपि/हालांकि पी.डब्ल्यू-4 ने खून के निशान की उपस्थिति बारे में बताया जब मृतक को आरोपी-प्रतिवादी ने कथित तौर पर घसीटा था। विचारण न्यायालय ने सभी दलीलों को अस्वीकृत कर दिया और पी.डब्ल्यू-4 के साक्ष्य पर भरोसा जताते हुए, एक प्रतिवादी को धारा 302 आईपीसी के तहत और अन्य प्रतिवादियों को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार करते हुए, अभिनिर्धारित किया कि-

1. उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया कि वहां एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, एफ.आई.आर. में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंधेरी रात में शिकायतकर्ता के साथ जाने के लिए कोई आगे नहीं आया, इसलिए उसे

थाने आने के लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ा, इस गवाह से जिरह में एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कथित देरी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, जबकि गवाह से विस्तार में जिरह की गई। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उसने गलत कारण बताया हो कि उसने अगली सुबह एफ.आई.आर. क्यों दर्ज कराई। [पैरा 8] [417-D-E]

2. यह अभियुक्तों का मामला नहीं था, न ही उनकी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी में भी बयान नहीं था कि उन पर मृतक द्वारा हमला किया गया था और आरोपी व्यक्तियों को मृतक के हाथों चोट लगी थी। उनका स्पष्ट मामला यह था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और मृतक की खराब प्रतिष्ठा के कारण अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की गई थी। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अज्ञात हमलावरों के हाथों उन्हें चोट आई। जैसा कि विचारण न्यायालय ने सही अवलोकन किया है, यदि उन्हें वास्तव में उस तरीके से चोटें लगी थी, तो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी जाती। माना, ऐसा नहीं किया गया। तब से अब, तक आरोपी ने यह दावा नही किया कि उसे मृतक के हाथों से चोट लगी थी, इसलिए उस अर्थ में अभियुक्तों को लगी चोटों की व्याख्या करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। [पैरा 9] [417-G-H; 418-A-B]

3. विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का विश्लेषण करने पर पाया कि आरोपी व्यक्ति मृतक के शव को आरोपी अजीत सिंह उर्फ जीत सिंह के घर तक घसीटकर ले जा रहे थे, इस बात संभावना थी कि उनके कपड़ों पर खून के निशान छोड़ने के बजाय खून से लथपथ हो गए थे। जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कई स्थानों से खून से सनी मिट्टी एकत्र की थी। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां घटनास्थल पर या उसके आस-पास रक्त की अनुपस्थिति हो। उच्च न्यायालय ने इस पहलू के पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इस बात पर भी चर्चा नहीं की गई कि वह इस संबंध में विचारण न्यायालय के विचार से सहमत क्यों नहीं हुई। [पैरा 10] [418-B-D]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः- आपराधिक अपील संख्या 330/2000

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की चण्डीगढ़ पीठ की आपराधिक अपील संख्या 298- डी.बी./1994 में दिनांक 30.08.1995 के निर्णय एवं आदेश से उत्पन्नः

साथ

आपराधिक अपील संख्या 331/2000

अपीलकर्ता की ओर से अजयपाल,

प्रत्यर्थी की ओर से- सीमा गुलारी, साधना सधू और हेमन्तिका वाही

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा पारित किया।

1. ये दोनों अपीलें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की आपराधिक अपील संख्या 208 डी.बी./1994 में 30 अगस्त, 1995 के एक सामान्य फैसले के खिलाफ निर्देशित है। उक्त अपील में, वर्तमान प्रत्यर्थी/उत्तरदाताओं ने विद्वान सत्र न्यायाधीश अमृतसर द्वारा पारित दोषसिद्धी आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया। अभियुक्त-प्रत्यर्थी मेजर सिंह को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में ''आईपीसी'') में दोषी पाया गया। सह अभियुक्त अजीत सिंह उर्फ अजीत सिंह, मोहिंदर सिंह और कुलवंत सिंह को धारा 302 सपठित धारा 34 आईपीसी के दोषी पाया गया। प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 2,000/- रुपए जुर्माना भरने की डिफाल्ट शर्त के साथ सजा सुनाई गई। धारा 460 आईपीसी से संबंधित अपराध के लिए प्रत्येक अभियुक्त को पांच साल के कठोर कारावास और 500/-रुपए डिफाल्ट शर्त के साथ जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई।

2. मुकदमा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पृष्ठभूमि तथ्य नियमानुसार हैः-

17.05.1991 को रात 8 बजे सुरजीत कौर (पी.डब्ल्यू-4) और उसका पति दलीप सिंह (बाद में 'मृतक' के रूप में संदर्भित) गांव लहरका में अपने

घर में मौजूद थे। उसी समय, आरोपी मोहिंदर सिंह और कुलवंत सिंह, डांग लेकर, जीत सिंह बरछी से लेस होकर और मेजर सिंह कृपाण लैस होकर वहां आए और उसके पति से कहा कि वह उनके बीच चल रहे भूमि विवाद के संबंध में उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो उसे सबक सिखाया जाएगा। यह कहते हुए, मोहिंदर सिंह ने ललकारा उठाया कि दिलीप सिंह को खेती की जमीन में अपना हिस्सा मांगने के लिए सबक सिखाया जाए, इस पर कुलवंत सिंह ने दिलीप सिंह को पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद जीत सिंह ने बरछी से प्रहार किया जो दलीप सिंह की छाती के दांहिनी ओर लगा, जबकि मेजर सिंह ने कृपाण से प्रहार किया, जो दलीप सिंह के बांए कान पर लगा। मेजर सिंह ने फिर कृपाण से प्रहार किया, जो दलीप सिंह की गर्दन पर लगा। इसी बीच, सुरजीत कौर मदद के लिये चिल्लाई, जिस पर शंकारा सिंह का बेटा करनैल सिंह और चानन सिंह का बेटा अजीत सिंह मदद के लिये आये। उन सभी ने दलीप सिंह को बचाने के लिये हस्तक्षेप करने की कोशिश की। मेजर सिंह ने उनसे कहा कि वे अलग खड़े रहे नहीं तो उन पर हमला किया जाएगा। यह सुनकर सुरजीत कौर, करनैल सिंह और अजीत सिंह एक तरफ खड़े हो गए और जीत सिंह और उसके सहअभियुक्त दलीप सिंह के शव को अजीत सिंह के घर ले गए। घर के आंगन में एक बिजली का बल्ब जल रहा था और सुरजीत कौर (पी.डब्ल्यू-4) इस प्रकार आरोपी की पहचान करने में समक्ष थी। इसके बाद वह पुलिस स्टेशन काठू नंगल के लिए रवाना हो गई

और रास्ते में तलवंडी फुमान के पास एएसआई राजिंदर सिंह (पी.डब्ल्यू-9) से मुलाकात हुई और उन परिस्थितियों के बारे में बयान दिया जिनमें उसके पति पर आरोपियों द्वारा हमला किया गया था और उसे उसके घर से निकाल दिया गया था। पी.डब्ल्यू-9 ने बयान (एक्स पी.एफ.) को लिखित रूप में दर्ज किया और उसे गवाह को पढ़कर सुनाया और इसके बाद उसने इसकी सत्यता के प्रतीक के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए। जिसको राजिंदर सिंह द्वारा पी.एफ.2 पृष्ठांकन किया जाकर और उसे औपचारिक एफआईआर (एक्स.पी.एफ/1) दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन भेज दिया गया। इसके बाद जांच अधिकारी मौके पर पहुंचा और अजीत सिंह के घर में दलीप सिंह का शव मिला। उन्होंने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट एक्स पीडी तैयार की और पोस्टमार्टम के लिए अनुरोध तैयार करने के बाद हेड कानिस्टेबल चरण सिंह और कानिस्टेबल सतपाल सिंह के माध्यम से शव को शवगृह में भेज दिया। उन्होंने चोट प्रतिवेदन तैयार किया और खून से सनी मिट्टी को उठाकर फर्द बरामदगी (एक्स.पीओ) के माध्यम से उसे अपने कब्जे में ले लिया, जिसे एसआई किशन सिंह और एसआई सुरिंदर कुमार ने सत्यापित किया था। वे दलीप सिंह के घर गए और घर के आंगन से खून से सनी मिट्टी उठाई और फर्द बरामदगी एक्स.पीक्यू के माध्यम से उसे भी कब्जे में ले लिया। इस फर्द बरामदगी को उपरोक्त गवाहों से भी सत्यापित कराया गया था। उन्होंने अजीत सिंह और दलीप सिंह के घर को दिखाते हुए नक्शा मौका तैयार किया। उसके पार्श्व टिप्पणी

मौके के अनुसार सही है। पुलिस स्टेशन लौटने पर, उन्होंने मामले की सम्पत्ति मालखाना एचसी के पास जमा कर सील मुहर कर दी। इसके बाद, उन्होंने आरोपी की तलाश की और 01.06.1991 को जब वह बस अड्डा तलवंडी फुमान में मौजूद थे, तो वह दर्शन सिंह, पी.डब्ल्यू-5 के साथ शामिल हो गए और आरोपी की तलाशी में गांव लहरका की ओर निकल गए। जब वह नहर माईनर के पास पहुंचे तो दर्शन सिंह ने चारों आरोपियों की ओर इशारा किया और उन्हें पकडकर मामले में हिरासत में लिया गया। दर्शन सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में, एएसआई राजिंदर सिंह ने मेजर सिंह से पूछताछ की, जिसने खुलासा बयान (एक्स.पीएल) दिए कि उसने गेहूं के भूसे के ढेर में कृपाण छिपा रखी थी, जो उसकी पशुशाला में पड़ा हुआ था, उसे इसके बारे में विशेष ज्ञान था। उसके बयान को लिखित रूप में लिख लिया गया और आरोपी से अंगूठा लगवा लिया गया और दर्शन सिंह और अमरीक सिंह, पी.डब्ल्यू से सत्यापित करवाया गया। इसके बाद, एएसआई राजिंदर सिंह ने जीत से पूछताछ की, जिसने खुलासा बयान दिया था कि उसने तूरी वाला कोठा में पड़े तूरी के ढेर में बरछी छिपाकर रखी थी और उसे ही इसकी विशेष जानकारी थी और वह उसे बरामद करवा सकता था। इस कथन को पूर्व पी.जे. ने भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया और उपरोक्त गवाहों से प्रमाणित करवाया। इसके बाद आरोपियों ने पुलिस पार्टी को उनके द्वारा पहले से बताये गए छिपाने के स्थान पर ले गए और कृपाण (एक्स.पी.2)

और बरछी (एक्स.पी.1) की खोज की, जिन्हें फर्द बरामदगी एक्स पी.एम. और एक्स पी.के. के माध्यम से कब्जे में ले लिया गया। बरामदगी स्थल का नक्शा मौका बनाया, जो क्रमशः एक्स पी.एन. और एक्स. पी.के./1 है, इन फर्दों को पी.डब्ल्यू दर्शन सिंह और अमदीन सिंह द्वारा सत्यापित किया गया। पुलिस स्टेशन लौटने पर, जांच अधिकारी ने केस सम्पत्ति को सील मोहर कर मालखाने में जमा करा दिया। जांच के दौरान बरामदगी खोज स्थलों एक्स.पी.टी. और पी.यू. के रफ स्कैच भी तैयार किए गए और उसके पूरा होने पर आरोपियों के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप-पत्र पेश किया गया। आरोपी व्यक्तियों ने खुद को निर्दोष बताया।

3. पी.डब्ल्यू-4, मुखबीर के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, विचारण न्यायालय ने आरोपी व्यक्तियों को दोषी पाया और दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, जैसा कि पूर्वोक्त कहा गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष आरोपी व्यक्तियों के मुख्य तर्क थे कि (ए) एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई थी (बी) आरोपियों को लगी चोटों के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया (सी) शिकायतकर्ता पी.डब्ल्यू-4 चश्मदीद गवाह, के साक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से भिन्न थे। (डी) जांच अधिकारी को खून का कोई निशान नहीं दिखा था, हालांकि शिकायकर्ता ने खून के निशान की उपस्थिति के बारे में कहा था जब आरोपी व्यक्ति मृतक को अजीत सिंह उर्फ जीत सिंह के घर में खींचकर ले गए थे। विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तर्क को इस प्रकार खारिज कर दियाः-

(ए) एफ.आई.आर. दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई, क्योंकि मृतक को बचाने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया और इसलिए, असहाय महिला पी.डब्ल्यू-4 रात में पुलिस स्टेशन नहीं आ सकती थी।

(बी) अभियुक्तों की चोटें गंभीर प्रकृति की नहीं थी और स्वयं को पहुंचायी जा सकती है।

(सी) प्रत्यक्षदर्शी/शिकायकर्ता, पी.डब्ल्यू-4 का बयान चिकित्सीय साक्ष्य की पुष्टि करता है।

(डी) रक्त के निशान की कमी को समझाया गया है।

4. लम्बी प्रतिपरीक्षा होने के बावजूद अखण्डित रही। आरोपी को फंसाने से शिकायतकर्ता को कुछ हासिल नहीं हुआ। आरोपियों को निशानदेही पर हथियारों की बरामदगी की पुष्टि की गई है यदि कोई भी आरोपी अज्ञात हमलावरों द्वारा घायल हो गया था, जैसा कि दावा किया गया है, तो उनके पास पुलिस को मामले की रिपोर्ट न करने और चुप रहने का कोई कारण नहीं था।

5. व्यथित होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में अपील दायर की। विचारण न्यायालय के समक्ष रखे गए रुख को उच्च न्यायालय के समक्ष दोहराया गया। आक्षेपित फैसले से, उच्च न्यायालय ने पाया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला संधार्य नहीं था और तद्नुसार विचारण न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया और बरी करने का

निर्देशित किया। इसलिए, राज्य ने विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

6. अपील के समर्थन में, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने गलती से यह मान लिया है कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई थी। उच्च न्यायालय ने गलत निष्कर्ष निकाला कि एफआईआर या अदालत में बयानों में देरी की व्याख्या नहीं की गई थी। यह स्पष्टतः तथ्यात्मक स्थिति के विपरीत है। दरअसल, एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी के बारे में विवरण देकर स्पष्टीकरण देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। किसी भी स्थिति में, वह आलोचना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जहां तक आरोपी व्यक्तियों की चोटों के बारे में स्पष्टीकरण न देने का सवाल है, आरोपी व्यक्तियों ने कभी यह दावा नहीं किया कि उन्हें मृतक के हाथों चोटें लगी थी। इसलिए चोटों के बारे में बताने का सवाल ही नहीं उठता, अंत में विचारण न्यायालय ने एक विस्तृत विश्लेषण द्वारा यह संकेत दिया कि खून का निशान क्यों नहीं हो सकता, जैसा कि पी.डब्ल्यू-4 ने कहा था।

7. जवाब में, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने कहा कि मौके पर पी.डब्ल्यू-4 की उपस्थिति संदिग्ध थी। उच्च न्यायालय ने मृतक की पृष्ठभूमि और उत्तरदाताओं की गलत फंसाने की प्रेरणा का सही उल्लेख किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायलय का निर्णय

दोषमुक्ति में से एक होने के कारण, इन अपीलों में हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

8. जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया, उत्तरदाताओं को बरी करने के लिए उच्च न्यायालय के पास तीन कारक थे। सबसे पहले, एफआईआर पेश करने में देरी का कथित तौर पर स्पष्टीकरण न देना। उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से दर्ज किया कि वहां एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था, एफ.आई.आर. में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अंधेरी रात में शिकायतकर्ता के साथ जाने के लिए कोई आगे नहीं आया, इसलिए उसे थाने आने के लिए सुबह तक इंतजार करना पड़ा, इस गवाह से जिरह में एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कथित देरी के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा गया, जबकि गवाह से विस्तार में जिरह की गई। ऐसा कहीं भी नहीं लगा कि उसने गलत कारण बताया हो कि उसने अगली सुबह एफ.आई.आर. क्यों दर्ज कराई। इसलिए, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असंधार्य है।

9. इसके बाद आरोपी पर लगी चोटों के बारे में कथित तौर पर स्पष्टीकरण न देने के संबंध में उच्च न्यायालय का निष्कर्ष आता है। यह अभियुक्तों का मामला नहीं था, न ही उनकी प्रतिपरीक्षा अन्तर्गत धारा 313 सीआरपीसी में भी बयान नहीं था कि उन पर मृतक द्वारा हमला

किया गया था और आरोपी व्यक्तियों को मृतक के हाथों चोट लगी थी। उनका स्पष्ट मामला यह था कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और मृतक की खराब प्रतिष्ठा के कारण अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या की गई थी। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो अज्ञात हमलावरों के हाथों उन्हें चोट आई। जैसा कि विचारण न्यायालय ने सही अवलोकन किया है, यदि उन्हें वास्तव में उस तरीके से चोटें लगी थी, तो कम से कम इतना तो किया ही जा सकता था कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी जाती। माना, ऐसा नहीं किया गया। तब से अब, तक आरोपी ने यह दावा नहीं किया कि उसे मृतक के हाथों से चोट लगी थी, इसलिए उस अर्थ में अभियुक्तों को लगी चोटों की व्याख्या करने प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यहां भी उच्च न्यायालय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से असंधार्य है।

10. अंतिम प्रश्न जांच अधिकारी के साक्ष्य से संबंधित हैं कि उन्हें खून के निशान नहीं मिले। विचारण न्यायालय ने साक्ष्य के विश्लेषण करने पर पाया कि आरोपी व्यक्ति मृतक के शव को आरोपी अजीत सिंह उर्फ जीत सिंह के घर तक घसीटकर ले जा रहे थे, इस बात संभावना थी कि उनके कपड़ों पर खून के निशान छोड़ने के बजाय खून से लथपथ हो गए थे। जांच अधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने कई स्थानों से खून से सनी मिट्टी एकत्र की थी। इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जहां घटनास्थल पर या उसके आस-पास रक्त की अनुपस्थिति हो। उच्च

न्यायालय ने इस पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। इस बात पर भी चर्चा नहीं की गई कि वह इस संबंध में विचारण न्यायालय के विचार से सहमत क्यों नहीं हुई।

11. किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर प्रतिवादियों को बरी करने का उच्च न्यायालय का आक्षेपित निर्णय स्पष्ट रूप से असंधार्य है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय का आदेश बहाल किया गया है। जो उत्तरदाता जमानत पर है, उन्हें शेष सजा काटने के लिए तुरंत हिरासत में लिय जावे।

12. तद्नुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी लोकेश कुमार मीना, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।